सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.- ए-12011/12/2024-क.भ.नि.स.-मुख्या./आरसी /473 दिनांक: 09 जुलाई 2025

सेवा में,

सभी आंचलिक अपर कें.भ.नि.आ. (मुख्यालय)/ आंचलिक अपर कें.भ.नि.आ.
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी
क्षे.भ.नि.आयुक्त (प्रशा.)

विषय : नवनियुक्त कार्मिकों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के संबंध में अनुस्मारक।

संदर्भ : परिपत्र संख्या ए-12011/12/2024-क.भ.नि.स.-मुख्या /आर सी/328 दिनांक 07.11.2024

यह उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय द्वारा ऊपर संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.स.) के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत के अनिवार्य सत्यापन से संबंधित पहले से जारी अनुदेशों के क्रम में है।

2. इस संबंध में, यह पुनः दोहराया जाता है कि किसी भी नवनियुक्त कार्मिक को तब तक अंतिम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके चरित्र एवं पूर्ववृत का निर्धारित सत्यापन नियत दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत पूरा नहीं हो जाता।

3. कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार के सत्यापन को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से उस प्रशा.से.प्र./आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/पीडीनास/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी की है, जहाँ उम्मीदवार तैनात है। प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- आवश्यक प्रपत्र और सत्यापन प्रारूप विधिवत रूप से भरें जाएँ और बिना किसी देरी के संबंधित जिला/पुलिस अधिकारियों को भेज दिए जाएँ;
- सत्यापन रिपोर्ट की रसीद और उसका उचित रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी की कार्यालय फ़ाइल में रखा जाए;
- क.भ.नि.स. में प्रत्येक नए कर्मचारी का चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन संबंधित जिला अधिकारियों से कार्यभार ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से करवाया जाना चाहिए।

4. इस सत्यापन प्रक्रिया के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और संगठन के भीतर सेवा के मानकों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. अतः सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, एएसडी (मुख्यालय), पीडीयूएनएएसएस, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और जारी किए गए निर्देशों का समय पर और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या प्रक्रियात्मक चूक प्रशासनिक जटिलताओं का कारण बन सकती है और इससे निश्चित रूप से बचा जाना चाहिए।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।)

भवदीय

परमप्रीत

(पीपीएस मैंगी)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-I, भर्ती प्रकोष्ठ